



संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण, अनुसंधान विकास
प्रकोष्ठ देहरादून उत्तराखण्ड



**Joint Entrance Examination & Training,
Research Development Cell Uttarakhand**

विवरण पुस्तिका (INFORMATION BROCHURE)

**संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलीटेकनिक्स –2021
(Joint Entrance Examination Polytechnics-2021)**

ऑनलाइन आवेदन की तिथियाँ
दिनांक 05 मार्च 2021 से दिनांक 10 मई 2021 तक
ऑफलाइन(ओ० एम० आर०) आवेदन की तिथियाँ
दिनांक 15 मार्च 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक
उत्तराखंड के समस्त राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त
पालीटेकनिक संस्थानों में उपलब्ध

उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रूडकी से सम्बद्ध उत्तराखंड के
पालीटेकनिकों / तकनीकी संस्थानों में डिप्लोमा इंजीनियरिंग /
टेकनोलोजी एवं अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु

आवेदन के लिए परिषद् की वेबसाइट (Website)
www.ubter.in, www.ubtejeep.co.in

संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ अपर आमवाला देहरादून

उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् से सम्बद्ध उत्तराखण्ड के पॉलीटेकनिकों/तकनीकी संस्थानों में डिप्लोमा इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी एवं अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु

संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलीटेकनिक्स – 2021 (JEEP-2021)

विवरण पुस्तिका (INFORMATION BROCHURE)

- आनलाईन/ऑफलाईन ओ0एम0आर0 आवेदन (परीक्षा शुल्क/काउंसिलिंग शुल्क/जी0एस0टी0 सहित) :
 1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए – ₹ 500.00
 2. अन्य सभी वर्गों के लिए – ₹ 800.00
- अभ्यर्थी परिषद् की वेबसाइट www.ubter.in एवं www.ubtejeep.co.in पर आनलाईन आवेदन दिनांक 05 मार्च 2021 से दिनांक 10 मई 2021 तक कर सकते हैं।
- ऑफ लाईन ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र उत्तराखण्ड में परिषद् से सम्बद्ध समस्त राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त संस्थानों में दिनांक 15 मार्च 2021 से 30 अप्रैल 2021 के मध्य उपलब्ध होंगे। अभ्यर्थी उक्त तिथियों में आवेदन पत्र क्रय कर दिनांक 30 अप्रैल 2021 तक उसी संस्थान में जमा कर सकते हैं। साथ ही अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के पश्चात पंजीकृत डाक के माध्यम से "संयुक्त सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ अपर आमवाला देहरादून-248001" के पते पर भी भेज सकते हैं।
- आनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- उत्तराखण्ड के बाहर निवास करने वाले अभ्यर्थी (जिनके पास उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं है) उसी दशा में आवेदन पत्र भरें यदि उनके द्वारा न्यूनतम अर्हता की परीक्षा उत्तराखण्ड राज्य से उत्तीर्ण की गयी हो।
- उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, रूड़की से सम्बद्ध उत्तराखण्ड के राजकीय/महिला/ग्रामीण/अनुदानित/ निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थाओं में चल रहे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रमों (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु), माडर्न आफिस मैनेजमेन्ट एण्ड सेक्रेट्रियल प्रैक्टिस एवं फार्मसी में प्रवेश हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा पालीटेकनिक्स- 2021 का

आयोजन "उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ, अपर आमवाला देहरादून" के तत्वाधान में होगा। इसके अतिरिक्त अन्य डिप्लोमा पाठ्यक्रमों जैसे-डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एण्ड केटरिंग टेक्नोलॉजी, पी0जी0डी0सी0ए0, टेक्सटाइल डिजाइन, गारमेन्ट टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइन पाठ्यक्रमों में अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के आधार पर मेरिटवार प्रवेश दिया जायेगा। जिसकी सूचना काउंसिलिंग से पूर्व समाचार पत्रों/वेबसाईट के माध्यम से प्रकाशित की जायेगी।

- **संस्था एवं पाठ्यक्रम** :विभिन्न पॉलीटेकनिकों में चल रहे डिप्लोमा इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी/फार्मसी /मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एण्ड सेक्रेट्रियल प्रैक्टिस एवं अन्य पाठ्यक्रमों जैसे-होटल मैनेजमेंट एण्ड केटरिंग टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल डिजाइन, गारमेन्ट टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइन एवं पी0जी0डी0सी0ए0 जिनमें संयुक्त प्रवेश परीक्षा/पाठ्यक्रम की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के आधार पर मेरिटवार प्रथम वर्ष में प्रवेश किये जायेंगे की सूची तथा पाठ्यक्रमों का विकल्प देने हेतु पाठ्यक्रम ग्रुप कोड निम्नवत हैं:-

S.No.	Inst Code	Institute Name	Branches											
			05	09	12	15								
1.	002	GOVT. GIRLS POLYTECHNIC ALMORA	05	09	12	15								
2.	003	GOVT. GIRLS POLYTECHNIC DEHRADUN	05	09	15	42								
3.	006	GOVT. POLYTECHNIC DEHRADUN(PITHOWALA)	02	05	09	12	14	16	26					
4.	007	GOVT. POLYTECHNIC DWARAHAT (ALMORA)	02	05	09	12	15	16						
5.	008	GOVT. POLYTECHNIC GAUCHAR (CHAMOLI)	12	16	39	40								
6.	009	GOVT. POLYTECHNIC KASHIPUR (U.S. NAGAR)	01	02	05	09	12	14	16	25	27			
7.	010	GOVT. POLYTECHNIC LOHAGHAT (CHAMPAWAT)	02	09	12	16								
8.	011	GOVT. POLYTECHNIC NAINITAL	02	08	09	12	14	15	16					
9.	012	GOVT. POLYTECHNIC NARENDRA NAGAR (TEHRI GARHWAL)	08	09	12	16								
10.	013	GOVT. POLYTECHNIC SHAKTIFARM (U.S. NAGAR)	01	09										
11.	014	GOVT. POLYTECHNIC SRINAGAR GARHWAL (PAURI GARHWAL)	02	05	08	09	12	14	16	26				
12.	015	GOVT. POLYTECHNIC SULT (ALMORA)	05	09										
13.	016	GOVT. POLYTECHNIC UTTARKASHI	02	08	09	15	16							
14.	017	GOVT. RURAL POLYTECHNIC TAKULA (ALMORA)	09											
15.	018	GOVT. RURAL POLYTECHNIC THALNADI (PAURI GARHWAL)	09											
16.	019	K.L. POLYTECHNIC ROORKEE (HARIDWAR)	02	08	17	30	33							
17.	020	B.S. NEGI MAHILA PRAVIDHIK PRASHIKSHAN SANSTHAN DEHRADUN	10	11	15	17	19	42						
18.	021	GOVT. POLYTECHNIC KOTABAG (NAINITAL)	05	09										
19.	026	BLUE MOUNTAINS GROUP OF COLLEGES DEHRADUN.	07											
20.	027	GYANI INDER SINGH INSTITUTE OF PROFESSIONAL STUDIES DEHRADUN	16											
21.	028	ROORKEE COLLEGE OF PHARMACY ROORKEE	16											
22.	029	MODERN INSTITUTE OF TECHNOLOGY RISHIKESH	02	08	14	16								
23.	030	GOVT. POLYTECHNIC KOTDWAR (PAURI GARHWAL)	05	09										
24.	031	AMRAPALI INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT AND CATERING TECHNOLOGY, HALDWANI	07											
25.	032	GOVT. POLYTECHNIC GARUR (BAGESHWAR)	14											

S.No.	Inst Code	Institute Name	Branches																	
26.	033	GOVT. POLYTECHNIC KALADHUNGI (NAINITAL)	05	32	37															
27.	034	GOVT. POLYTECHNIC GANAI GANGOLI (PITHORAGARH)	12	14																
28.	035	GOVT. POLYTECHNIC RATURA (RUDRAPRAYAG)	05																	
29.	036	GOVT. POLYTECHNIC GARHI SHYAMPUR (RISHIKESH)	08																	
30.	037	GOVT. POLYTECHNIC SAHIYA (DEHRADUN)	33																	
31.	038	GOVT. POLYTECHNIC SATPULI (PAURI)	14																	
32.	039	GOVT. POLYTECHNIC NEW TEHRI	08																	
33.	040	GOVT. POLYTECHNIC GOPESHWAR (CHAMOLI)	12																	
34.	041	GOVT. POLYTECHNIC BEERNOKHAL (PAURI)	02																	
35.	042	GOVT. POLYTECHNIC KANDA (BAGESHWAR)	14																	
36.	044	SRI DEV BHOOMI INSTITUTE OF EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, DEHRADUN	16																	
37.	045	SHAKUMBHRI INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION, PUHANA, ROORKEE	02	08	16	33														
38.	046	GOVT. POLYTECHNIC CHAUNALIYA (ALMORA)	15																	
39.	047	GOVT. POLYTECHNIC AAMWALA (DEHRADUN)	09																	
40.	048	GOVT. POLYTECHNIC SIDCUL HARIDWAR	09																	
41.	049	GOVT. POLYTECHNIC PANTNAGAR (U.S. NAGAR)	09																	
42.	050	GOVT. POLYTECHNIC MALLASALAM (ALMORA)	05																	
43.	051	GOVT. POLYTECHNIC VIKASNAGAR (DEHRADUN)	09																	
44.	052	GOVT. POLYTECHNIC KANALICHEENA (PITHORAGARH)	08																	
45.	053	BISHAMBAR SAHAI DIPLOMA ENGINEERING COLLEGE, SALIYAR, ROORKEE	02	05	08	09	14	29	34											
46.	054	RAMANAND INSTIUTTE OF PHARMACY, JWALAPUR, HARIDWAR	02	08	09	14	16													
47.	055	BLUE MOUNTAINS GROUP OF COLLEGES DEHRADUN.	02	14																
48.	056	ROORKEE COLLEGE OF POLYTECHNIC KISHANPUR, ROORKEE	02	05	14	30	31	33	35											
49.	057	UTTARATECH POLYTECHNIC DHANAURI, ROORKEE	02	08	33															
50.	058	COLLEGE OF ADVANCE TECHNOLOGY, VILLAGE NANEHRA, NEAR PUHANA, ROORKEE	02	08	26	33														
51.	059	GOVT. POLYTECHNIC DIDIHAT PITHORAGARH	29																	
52.	060	GOVT. POLYTECHNIC JAKHOLI (RUDRAPRAYAG)	12																	
53.	061	SUNRISE ACADEMY MANAGEMENT SOCITY OPPOSITE DEAL, RAIPUR ROAD DEHRDUN	16																	
54.	062	OM INSTITUTE OF TECHNOLOGY NEAR CRYSTAL WORLD, ROORKEE, HARIDWAR	02	05	08	14	16	30												
55.	063	SMT MANJIRA DEVI SHIKSHAN & PRASHIKSHAN SAMITI, HITANO, DHANARI, UTTARKASHI	16																	
56.	064	SIDDHARTH INSTITUTE OF PHARMACY, SAHASTRADHARA ROAD, DEHRADUN	16																	
57.	065	ALPINE INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY NANDA KI CHOWKI, DEHRADUN	02	07	16	26	33													
58.	067	S.D.I.M.T. GURUKUL MAHAVIDYALAYA, JWALAPUR, HARIDWAR	02	05	08	14														
59.	068	G.E.T. GROUP OF INSTITUTION (FACULTY OF TECHNOLOGY) BAZPUR, U.S. NAGAR	02	08	14	26	37													
60.	069	UTTARAKHAND INSTITUTE OF TECHNICAL AND PROFF. EDUCATION RAMNAGAR (NAINITAL)	02	05	08	09	14													
61.	070	B.S.M. COLLEGE OF POLYTECHNIC ROORKEE (HARIDWAR)	02	05	08	14	29													
62.	071	SMT. TARAWATI INSTITUTE OF BIO-MEDICAL & ALLIED SCIENCES, ROORKEE	16																	
63.	072	GOVT. POLYTECHNIC BARKOT (UTTARKASHI)	02	12																
64.	073	GOVT. POLYTECHNIC HINDOLAKHAL (TEHRI)	14																	

S.No.	Inst Code	Institute Name	Branches							
65.	074	GOVT. POLYTECHNIC MUNAKOT (PITHORAGARH)	02							
66.	075	GOVT. POLYTECHNIC KAPKOT (BAGESHWAR)	15							
67.	076	SIX SIGMA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE, RUDRAPUR (U.S. NAGAR)	02	08	26	33				
68.	078	PHONICS GROUP OF INSTITUTE, IMLIKHERA ROORKEE	02	08	14					
69.	081	ROORKEE COLLEGE OF ENGINEERING, ROORKEE	02	14	31					
70.	082	G.R.D. POLYTECHNIC RAJPUR ROAD, DEHRADUN	02	05	08	09	14			
71.	083	DEVBHOO MI INSTITUTE OF TECHNOLOGY MANDUWALA, DEHRADUN	02	08	09	14				
72.	084	SHIVALIK COLLEGE OF ENGINEERING DEHRADUN	02	08	14					
73.	087	J.B. INSTITUTE OF TECHNOLOGY, CHAKRATA ROAD, DEHRADUN	02	08	14					
74.	088	DOON INSTITUTE OF TECHNOLOGY, RISHIKESH	02	08	14					
75.	090	GOVT. POLYTECHNIC TANAKPUR (CHAMPAWAT)	02	05						
76.	091	GOVT. POLYTECHNIC KHATIMA (U.S. NAGAR)	02	08						
77.	092	GOVT. POLYTECHNIC KULSARI (CHAMOLI)	02							
78.	093	GOVT. POLYTECHNIC PRATAPNAGAR (TEHRI)	02							
79.	094	GOVT. POLYTECHNIC DANYA (ALMORA)	02							
80.	095	GOVT. POLYTECHNIC GAJA (TEHRI)	02							
81.	096	GOVT. POLYTECHNIC BHALASWAGAJ (HARIDWAR)	14							
82.	097	GOVT. POLYTECHNIC BAZPUR (U.S. NAGAR)	02	14						
83.	098	GOVT. POLYTECHNIC JAKHNIDHAR (TEHRI)	05							
84.	099	GOVT. POLYTECHNIC GAIRSAIN (CHAMOLI)	08							
85.	100	GOVT. POLYTECHNIC PIRUMDARA RAMNAGAR (NAINITAL)	08							
86.	101	GOVT. POLYTECHNIC QUANSI (DEHRADUN)	08							
87.	102	ROORKEE INSTITUTE OF TECHNOLOGY, ROORKEE	02	08	14					
88.	103	AMRAPALI INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT, LAMACHAUR, HALDWANI	08	14						
89.	104	BHAGIRATHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MGMT. COLLEGE, DEVIDHAR, LOHAGHAT	02	08	33					
90.	105	RUDRAPUR INSTITUTE OF TECHNOLOGY, VILL-BHAGWANPUR, RUDRAPUR (U.S. NAGAR)	02	08	09	26	33			
91.	106	INSTITUTE OF PROFESSIONAL STUDIES, DAYAL CITY, BEDPUR, BHAGWANPUR, ROORKEE	02	05	08	14	26	38		
92.	107	DEVBHOO MI INSTITUTE OF POLYTECHNIC NAVGAON MANDUWALA, DEHRADUN	02	05	26					
93.	108	DEVBHUMI INSTITUTE OF PHARMACY & RESEARCH, MADUWALA, DEHRADUN	16							
94.	113	TULAS INSTITUTE	02	14						
95.	114	GOVT. POLYTECHNIC PAURI	14							
96.	115	GOVT. POLYTECHNIC BAANS (PITHORAGARH)	02							
97.	116	GOVT. POLYTECHNIC BHEEMTAL (NAINITAL)	02							
98.	117	GOVT. POLYTECHNIC BADECHEENA (ALMORA)	08	14						
99.	118	GOVT. POLYTECHNIC BACHELIKHAL (TEHRI)	14							
100.	119	GOVT. POLYTECHNIC CHINIYALISUR (UTTARKASHI)	02							
101.	120	GOVT. POLYTECHNIC PIPLI (UTTARKASHI)	08							
102.	121	GOVT. POLYTECHNIC CHAMPAWAT	30							
103.	122	GOVT. POLYTECHNIC CHOPTA (RUDRAPRAYAG)	02							
104.	123	GOVT. POLYTECHNIC PAABO (PAURI)	08							
105.	124	GOVT. POLYTECHNIC KANDIKHAL (TEHRI)	02							

S.No.	Inst Code	Institute Name	Branches												
106.	125	GOVT. POLYTECHNIC POKHRI (CHAMOLI)	02	08	14										
107.	126	GOVT. POLYTECHNIC BERINAAG (PITHORAGARH)	30												
108.	127	GOVT. POLYTECHNIC BANSBAGARH (PITHORAGARH)	41												
109.	128	GOVT. POLYTECHNIC BARAM (PITHORAGARH)	08												
110.	129	GOVT. POLYTECHNIC JOSHIMATH (CHAMOLI)	08												
111.	130	GOVT. GIRLS POLYTECHNIC JAINTI (ALMORA)	02												
112.	131	SRI SAI INSTITUTE OF TECHNOLOGY	02	08	14										
113.	132	BHAGIRATHI INSTITUTE OF PHARMACY, LOHAGHAT,CHAMPAWAT	16												
114.	134	BISHAMBER SAHAI COLLEGE OF PHARMACY 6 KM MILE STONE, SALIYAR ,ROORKEE	16												
115.	135	DEVSTHALI VIDYAPEETH INSTITUTE OF PHARMACY,KACCHI KHAMARIA,RUDRAPUR	16												
116.	136	PRAGATI COLLEGE OF PHARMACY, KASHIPUR	16												
117.	137	HIMALAYAN INSTITUTE OF PHARMACY AND RESEARCH, DEHRADUN	16												
118.	138	RCP COLLEGE OF PHARMACY, ROORKEE	16												
119.	139	KUKREJA INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCE DEHRADUN	16												
120.	142	ARIHANT COLLEGE OF PHARMACY BADHEDI SHANTERSHAH DAULATPUR HARIDWAR	16												
121.	143	DROAN COLLEGE OF PHARMACY DINESHPUR (U.S. NAGAR)	16												
122.	144	GLOBAL INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL EDUCATION AND RESEARCH KASHIPUR	16												
123.	145	JBIT COLLEGE OF PHARMACY DEHRADUN	16												
124.	146	COLLEGE OF PHARMACY DEHRADUN	16												
125.	147	SAMRAT PRITHVIRAJ CHAUHAN COLLEGE OF PHARMACY KASHIPUR	16												
126.	148	BURMAN GROUP OF INSTITUTION JHABRERA HARIDWAR	16												
127.	149	AMRAPALI INSTITUTE OF PHARMACY AND SCIENCES LAMACHAUR HALDWANI	16												
128.	150	BRD COLLEGE OF PHARMACY ROORKEE HARIDWAR	16												
129.	151	SIX SIGMA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE RUDRAPUR	16												
130.	152	RUDRAPUR COLLEGE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY RUDRAPUR	16												
131.	153	DEVASTHALI VIDYAPEETH COLLEGE OF PHARMACY (RUDRAPUR)	16												
132.	154	SANJEEVANI HOSPITAL and MEDICAL RESEARCH INSTITUTE JHABRERA HARIDWAR	16												
133.	155	COLLEGE OF PHARMACY ROORKEE	16												
134.	156	KINGSTON IMPERIAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCES DEHRADUN	16												
135.	157	AROMA COLLEGE ROORKEE HARIDWAR	16												
136.	158	MAYA COLLEGE OF PHARMACY SELAQUI DEHRADUN	16												
137.	159	GRD PG IMT RAJPUR ROAD DEHRADUN	16												
138.	160	HARIDWAR COLLEGE OF PHARMACY HARIDWAR	16												
139.	161	AYUSHMAN COLLEGE OF MEDICAL SCIENCE, PUHANA ROORKEE	16												
140.	162	COLLEGE OF ENGINEERING ROORKEE (HARIDWAR)	02	08	14										
141.	163	GOVT. POLYTECHNIC RANI POKHRI (DEHRADUN)	02	08	14										
142.	164	ELECTRONICS SERVICE AND TRAINING CENTRE, KANIYA RAMNAGAR (NAINITAL)	08	14											

नोट:— उपरोक्त तालिका में सत्र 2020–21 के अनुसार सम्बद्ध संस्थानों का विवरण एवं उनमें संचालित पाठ्यक्रमों को दर्शाया गया है। सत्र 2021–22 के लिये ए0आई0सी0टी0ई0 से अनुमोदन के उपरान्त ही काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेश प्रदान किये जायेंगे। राज्य सरकार अथवा उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी संस्था/पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या को परिवर्तित कर सकती है अथवा किसी पाठ्यक्रम विशेष में प्रवेश बन्द या प्रारम्भ कर सकती है।

गुपवार पाठ्यक्रमों के कोड की सूची

SN	GROUP CODE	BRANCHCODE	BRANCH NAME
1.	E (ENGINEERING)	01	CHEMICAL ENGINEERING
2.		02	CIVIL ENGINEERING
3.		05	COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING
4.		08	ELECTRICAL ENGINEERING
5.		09	ELECTRONICS ENGINEERING
6.		12	INFORMATION TECHNOLOGY
7.		14	MECHANICAL ENGINEERING
8.		25	AGRICULTURE ENGINEERING
9.		26	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)
10.		27	CHEMICAL ENGINEERING (PAINT)
11.		29	AUTOMOBILE ENGINEERING
12.		30	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING
13.		31	ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING
14.		32	INSTRUMENTATION & CONTROL ENGINEERING
15.		33	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)
16.		34	PRODUCTION ENGINEERING
17.		35	CIVIL ENGINEERING (CONSTRUCTION TECHNOLOGY)
18.		36	ELECTRONICS & TELECOMMUNICATION ENGINEERING
19.		37	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING (INDUSTRY INTEGRATED)
20.		38	ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (TECH ELEX RADIO)
21.		39	ELECTRONICS ENGINEERING (SPECIALIZATION IN CONSUMER ELECTRONICS)
22.		40	CIVIL ENGINEERING (ENVIRONMENTAL & POLLUTION CONTROL)
23.		41	CIVIL ENGINEERING (PUBLIC HEALTH ENGINEERING)
24.		42	INTERIOR DESIGN
25.	H (DHMCT)	07	HOTEL MANAGEMENT & CATERING TECHNOLOGY
26.	T (TEXTILE)	10	FASION DESIGN
27.		11	GARMENT TECHNOLOGY
28.		19	TEXTILE DESIGN
29.	M (MOMSP)	15	MODERN OFFICE MANAGEMENT & SECRETARIAL PRACTICE
30.	P (PHARMACY)	16	PHARMACY
31.	G (PGDCA)	17	P.G. DIPLOMA IN COMPUTER APPLICATION
32.	A (LATERAL ENTRY)	ALL BRANCHES OF GROUP E (ENGINEERING) AS UTTARAKHAND G.O. 740/XLI-1/2011-26/10 DATED 19 AUG 2011	

- **परीक्षा कार्यक्रम:** ग्रुप E- इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलाजी पाठ्यक्रम, ग्रुप P- डिप्लोमा इन फार्मसी, ग्रुप A- लेटरल एन्ट्री एवं ग्रुप M- माडर्न आफिस मैनेजमेन्ट एण्ड सेक्रेट्रियल प्रैक्टिस में प्रवेश के लिये संयुक्त प्रवेश परीक्षाएँ माह जून के प्रथम/द्वितीय सप्ताह में आयोजित की जायेंगी। जिसकी सूचना आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि के उपरान्त विज्ञापन के माध्यम से समाचार पत्रों एवं वेबसाईट पर प्रकाशित की जायेंगी।
- **आयु :** प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थियों के लिये आयु सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।
- **स्वास्थ्य :** प्रवेश परीक्षा के अभ्यर्थियों की शारीरिक स्वस्थता जांच के लिये न्यूनतम मानक निम्नवत होंगे:-
- **शारीरिक स्वस्थता जांच-** उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध उत्तराखण्ड के संस्थाओं में चल रहे डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए तथा उसके शरीर में ऐसी कोई कमी नहीं होनी चाहिए जिसके फलस्वरूप वह प्रोफेशन का कार्य दक्षता से सम्पन्न न कर सके। प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रवेश लेने से पूर्व राजकीय चिकित्सालय द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- **प्रवेश हेतु पाठ्यक्रम का नाम, कोड, अवधि, शैक्षिक अर्हता, परीक्षा-विषय तथा प्रवेश परीक्षा में प्रश्नों का प्रतिशत :-**

पाठ्यक्रम ग्रुप	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	न्यूनतम शैक्षिक अर्हता	परीक्षा विषय एवं पाठ्यक्रम	
E	डिप्लोमा इंजीनियरिंग / टेक्नोलाजी पाठ्यक्रम	तीन वर्षीय	मा0शि0प0 उत्तराखण्ड की हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष परीक्षा। (Obtained at least 35% marks at the qualifying examination)	खण्ड-एक-गणित खण्ड-दो-विज्ञान (भौतिकी तथा रसायन)	50% 50%
P	डिप्लोमा इन फार्मसी	दो वर्षीय	भारत के राजपत्र संख्या 19, Part-3, Section-4, Chapter-2 बिन्दु संख्या 4 के अनुसार - 10+2 / इन्टरमीडिएट, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान अथवा गणित विषयों के साथ। फार्मसी काउंसिल आफ इण्डिया के मानकों के अनुसार राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण फार्मसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मान्य होगा।	खण्ड-एक-फिजिक्स, कैमिस्ट्री खण्ड-दो-बायोलॉजी या गणित	50% 50%
A	डिप्लोमा इंजी0 पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में लेटरल एन्ट्री के माध्यम से प्रवेश	दो वर्षीय	1. 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण (भौतिकी, रसायन एवं गणित विषय) या 2. 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण (व्यवसायिक/ प्राविधिक विषय उत्तीर्ण) या 3. दो वर्षीय आई0टी0आई0 उत्तीर्ण	हाईस्कूल स्तर की गणित- भौतिकी- रसायन- सामान्य इंजी0- (विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स, यांत्रिक)	40% 20% 20% 20%
M	माडर्न आफिस मैनेजमेन्ट एण्ड सेक्रेट्रियल प्रैक्टिस	दो वर्षीय	10+2 / इन्टरमीडिएट या उसके समकक्ष (हाईस्कूल अथवा इन्टरमीडिएट परीक्षा में हिन्दी तथा अंग्रेजी विषय का होना अनिवार्य है।)	अंग्रेजी एवं हिन्दी कम्पहेन्सिव रीजनिंग एण्ड इन्टेलीजेन्सी न्यूमेरिकल एबिलिटी जनरल अवेयरनेस	30% 35% 10% 25%
H	डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेन्ट एण्ड कैंटरिंग टेक्नोलाजी	तीन वर्षीय	10+2 / इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा अंग्रेजी विषय के साथ (Obtained at least 35% marks at the qualifying examination)	प्रवेश प्रक्रिया 10+2 / इन्टरमीडिएट की मेरिट के आधार पर होगी। जिसके लिये काउंसिलिंग के समय नोटिफिकेशन जारी किया जायेगा।	
G	पी.जी.डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन	दो वर्षीय	-स्नातक उपाधि-	प्रवेश प्रक्रिया स्नातक की मेरिट के आधार पर होगी। जिसके लिये काउंसिलिंग के समय नोटिफिकेशन जारी किया जायेगा।	

पाठ्यक्रम गुप	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	न्यूनतम शैक्षिक अर्हता	परीक्षा विषय एवं पाठ्यक्रम
T (केवल महिला अभ्यर्थियों के लिये)	1.टेक्सटाईल डिजाइन 2.गारमेन्ट टेक्नोलॉजी 3.फैशन डिजाइन	तीन वर्षीय	हाईस्कूल उत्तीर्ण (Obtained at least 35% marks at the qualifying examination)	प्रवेश प्रक्रिया हाईस्कूल की मेरिट के आधार पर होगी। जिसके लिये काउंसिलिंग के समय नोटिफिकेशन जारी किया जायेगा।

नोट :-

- उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम विशेष के लिए न्यूनतम अर्हता के लिए निर्धारित पाठ्यचर्या के अन्तर्गत होगी।
- महिला पॉलीटेकनिक संस्थानों में उपलब्ध पाठ्यक्रम केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए है, परन्तु अन्य पॉलीटेकनिक/संस्थानों में महिला/पुरुष अभ्यर्थियों से सीटें भरी जायेंगी।
- प्रत्येक गुप में आवेदन हेतु अभ्यर्थी को अलग-अलग आवेदन करना होगा।

➤ **विकलांग एवं अक्षम अभ्यर्थी:-** विकलांग अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड की निम्नलिखित संस्था में चल रहे निम्न पाठ्यक्रमों में विकलांग अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा। जिसमें भी उपरोक्तानुसार प्रवेश सुविधायें उपलब्ध हैं।

संस्था का नाम	इलेक्ट्रा० इंजी०	इलेक्ट्री० इंजी०	मैके० इंजी.(प्रो०)	पी०जी०डी०सी०ए०
के० एल० पाली० रुड़की	06 सीटें	06 सीटें	06 सीटें	07 सीटें

उपरोक्त के अतिरिक्त शेष सभी संस्थाओं में चल रहे पाठ्यक्रमों में विकलांग अभ्यर्थियों हेतु प्रवेश क्षमता का 4 प्रतिशत क्षैतिज प्रकृति का आरक्षण उपलब्ध है। इन संस्थाओं में विकलांग अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप ही सुविधायें उपलब्ध हैं। उपरोक्त श्रेणी में केवल ऐसे विकलांग अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिनकी अक्षमता 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो।

➤ **प्रवेश हेतु अनिवार्यता:-**

- जिन्होंने निर्धारित अर्हकारी परीक्षा उत्तराखण्ड में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं से उत्तीर्ण की हो

अथवा

- जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा उत्तराखण्ड के बाहर किसी अन्य प्रदेश से उत्तीर्ण की हो किन्तु उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी हों।

यदि कोई विदेशी संयुक्त प्रवेश परीक्षा में चयनित हो जाता है तो उसके प्रवेश हेतु अभ्यर्थी के देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित/संस्तुत होने अथवा केन्द्र सरकार द्वारा नामित/संस्तुत/सहमति आवश्यक होगी। कश्मीर से विस्थापित अभ्यर्थियों हेतु शासनादेश में दी गई व्यवस्था के अनुसार सीटें आरक्षित की गई हैं, तदनुसार प्रवेश अनुमन्य होगा।

विशेष ध्यानाकर्षण :

- अ. आरक्षण वर्ग के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थी यह भली-भाँति नोट कर लें, कि चयनित होने के बाद भी उन्हें प्रवेश तभी दिया जायेगा जब वे आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त) निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करेंगे। प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न कर पाने की दशा में उनका चयन निरस्त माना जायेगा और वे प्रवेश के पात्र नहीं होंगे, तथा इस सम्बन्ध में उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
- ब. प्रवेश के पश्चात संस्था/पाठ्यक्रम स्थानान्तरण किसी भी दशा में सम्भव नहीं होगा।

सीटों का आरक्षण:

प्रवेश परीक्षा के माध्यम से संस्थाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड सरकार के सुसंगत शासनादेशों के अधीन निम्नवत् है :-

क्र०सं०	जिनके लिये आरक्षित है	आरक्षित स्थान	कोड
ऊर्ध्वाधर आरक्षण			
1.	अनुसूचित जाति (S.C.) अभ्यर्थियों के लिये।	19 %	SC
2.	अनुसूचित जनजाति (S.T.) अभ्यर्थियों के लिये।	04 %	ST
3.	अन्य पिछड़े वर्ग (O.B.C.) अभ्यर्थियों के लिये।	14 %	OBC
4.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) अभ्यर्थियों के लिये।	10 %	EWS
5.	N.C.C. प्रमाण पत्र धारकों के लिए (उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशानुसार)	प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों में A B तथा C हेतु प्राप्तांकों का क्रमशः 1, 2, तथा 3% जोड़ा जायेगा	NCC
क्षैतिज आरक्षण			
6.	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी (D.F.F.) के आश्रितों के लिये।	02 % संस्थागत, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों के सापेक्ष	DFP
7.	भूतपूर्व सैनिकों/अपंग/मृत सैनिकों के आश्रित (MP)	05 % संस्थागत, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों के सापेक्ष	MP
8.	विकलांग अभ्यर्थियों (PH) के लिये।	04 %	PH
9.	महिलाओं (Women) के लिये।	30 %	WO

- नोट :**
1. जो महिला/व्यक्ति जिस वर्ग का होगा/होगी उसे उसी वर्ग में हारिजैन्टल आरक्षण अनुमन्य होगा।
 2. उपरोक्त आरक्षण उत्तराखण्ड शासन द्वारा परिवर्तनीय है।

3. यदि कोई अभ्यर्थी प्रोविजनली चयनित हो जाने की दशा में अपने आरक्षण वर्ग, उपवर्ग का प्रमाण-पत्र शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रवेश के समय संस्था में प्रस्तुत नहीं करता है अथवा आरक्षण के सम्बन्ध में उसके द्वारा दिया गया वक्तव्य असत्य पाया जाता है तो किसी अन्य वर्ग में समायोजित नहीं किया जायेगा एवं उसकी पात्रता/चयन निरस्त समझा जायेगा।
4. भूतपूर्व सैनिकों के लिए शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार आरक्षण दिया जायेगा। आश्रितों की परिभाषा सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा निर्धारित व्यवस्था अनुमन्य होगी।
5. आरक्षण प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त होना अनिवार्य है। आरक्षण (SC, ST, OBC, EWS) का लाभ लेने के लिये उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी काउंसिलिंग के समय प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत करता है तो उसे काउंसिलिंग में प्रवेश के लिये अर्ह नहीं माना जायेगा।
6. N.C.C. का लाभ लेने के लिये अभ्यर्थियों को आवश्यक है कि आवेदन करते समय उनके पास A,B अथवा C सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। क्योंकि अभ्यर्थी के प्राप्तांकों में अंकों का प्रतिशत क्रमशः 1,2 एवं 3 प्रतिशत जोड़ा जाता है अतः काउंसिलिंग में यदि अभ्यर्थी N.C.C. का उक्त प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत करता है तो काउंसिलिंग में प्रवेश का अर्ह नहीं माना जायेगा।

➤ चयन एवं काउंसिलिंग सम्बन्धी नियम:-

- **मेरिट सूची** : सभी पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम एवं संस्था का आवंटन मेरिट के आधार पर काउंसिलिंग के माध्यम से किया जायेगा, मेरिट सूची में अभ्यर्थी का मेरिट क्रम प्राप्तांकों के आधार पर होगा। एक से अधिक अभ्यर्थियों के उक्त प्राप्तांकों का योग यदि समान होता है तो उस स्थिति में प्रत्येक अभ्यर्थी की पारस्परिक मेरिट की अवधारणा प्रथमतः सम्बन्धित अभ्यर्थियों के जन्म तिथि के आधार पर मेरिट निर्धारित की जायेगी। इसके उपरान्त भी यदि मेरिट क्रमांक की अवधारणा न हो तो सम्बन्धित अभ्यर्थियों के गणित, विज्ञान/रसायन, बायोलॉजी जैसी भी स्थिति के अंकों के आधार पर मेरिट निर्धारित की जायेगी और अन्त में यदि उक्त सभी विकल्पों के बावजूद मेरिट निर्धारित नहीं हो पाती तो सम्बन्धित अभ्यर्थियों का मेरिट क्रम सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित की जायेगी।
- **परीक्षाफल/मेरिट सूची की घोषणा** : जीप-2021 के परीक्षाफल एवं रैंक की घोषणा परिषद् की वेबसाइट में प्रकाशित की जायेगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र परीक्षा होने से संस्था में प्रवेश होने तक अपने पास सुरक्षित रखें।
- **कम्प्यूटराईज्ड काउंसिलिंग** : कम्प्यूटराईज्ड काउंसिलिंग की तिथियां व समय समाचार पत्रों एवं परिषद् की वेब साइट पर प्रकाशित की जायेगी। इसके लिए अभ्यर्थी को अलग से कोई सूचना (Call Letter) नहीं भेजी जायेगी।
- परीक्षाफल प्रकाशन से पूर्व अथवा बाद में जब भी आवश्यक हो राज्य सरकार के पास प्रत्येक पाठ्यक्रमों की सीटों में (जिसमें आरक्षित श्रेणी की सीटें सम्मिलित हैं) कमी, बढ़ोत्तरी अथवा उनके संबन्ध में अन्य कोई भी परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार रहेगा।
- परिषद् द्वारा ए0आई0सी0टी0ई0 से वर्ष 2021-22 हेतु अनुमोदित संस्थानों/पाठ्यक्रमों एवं अनुमोदित प्रवेश क्षमता के अनुसार ही काउंसिलिंग में सम्मिलित किया जायेगा।
- **आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र** : आरक्षण प्रमाण-पत्र जैसे अन्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, सैनिक आश्रित, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी आश्रित, विकलांग आदि को आरक्षण का लाभ प्रवेश के समय सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उक्त प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। जो अभ्यर्थी आवेदन-पत्र में दर्शाये गये आरक्षण वर्ग के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र प्रवेश के समय प्रवेश समिति के सम्मुख प्रस्तुत नहीं कर पायेंगे वे प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। अतः अभ्यर्थी को चाहिए कि वह आवेदन करते समय आरक्षण वर्ग तथा उपवर्ग के कालम का विशेष ध्यान रखें तथा आरक्षित वर्गों की सीटों हेतु

तब ही आवेदन करें जब वे वाँछित प्रमाण-पत्र रखते हों एवं प्रवेश के समय प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकें, क्योंकि बाद में उन्हें अन्य वर्ग में किसी भी परिस्थितियों में समायोजित नहीं किया जायेगा।

- **प्रवेश पत्र** : प्रवेश पत्र संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तिथि के 15 दिन पूर्व, परिषद् की वेबसाईट पर आनलाईन उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे। अभ्यर्थी को चाहिए कि वह प्रवेश-पत्र पर अंकित आरक्षण वर्ग, उपवर्ग भली-भाँति चेक कर लें। किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर आनलाईन ही त्रुटि का सुधार संभव होगा।
- प्रवेश के समय आरक्षण वर्ग का प्रमाण-पत्र प्रारूप पर प्रस्तुत न कर पाने की दशा में अभ्यर्थन स्वतः समाप्त हो जायेगा, और इस सन्दर्भ में कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। प्रवेश परीक्षा-2021 में चयनित अभ्यर्थियों का चयन केवल सत्र-2021-22 के लिये है। यह चयन किसी भी दशा में अगले सत्र के लिये मान्य नहीं होगा।
- **प्रवेश परीक्षा केन्द्र/शहर – परीक्षा केन्द्र/शहर निम्नवत हैं:-**

शहर का नाम	कोड
रुड़की(हरिद्वार)	11
देहरादून	12
नई टिहरी	13
उत्तरकाशी	14
श्रीनगर(पौड़ी)	15

शहर का नाम	कोड
गौचर(चमोली)	16
रुद्रप्रयाग	17
काशीपुर(उ0सिं0 नगर)	18
हल्द्वानी(नैनीताल)	19
अल्मोड़ा	20

शहर का नाम	कोड
पिथौरागढ़	21
बागेश्वर	22
लोहाघाट(चम्पावत)	23

नोट:

1. अभ्यर्थी कृपया यह नोट कर लें कि उनके द्वारा प्रवेश परीक्षा हेतु दिये गये प्रथम विकल्प परीक्षा केन्द्र पर यदि छात्रों की संख्या 100 से कम पायी जाती है तो उन्हें निकटतम परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जायेगा।
2. आयोजक संस्था को यह अधिकार होगा कि किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी केन्द्र से परीक्षा देने की अनुमति दे सकता है। आयोजक संस्था द्वारा आवंटित परीक्षा केन्द्र में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
3. यदि कोई अभ्यर्थी संयुक्त प्रवेश परीक्षा के पाठ्यक्रम ग्रुप कोड E, P, A तथा M के पाठ्यक्रमों की परीक्षा में बैठने हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं रखता है तथा वह एक से अधिक ग्रुपों की परीक्षाओं में बैठने का इच्छुक है तो उसे प्रत्येक ग्रुप की परीक्षाओं हेतु अलग-अलग आवेदन करने होंगे। ऐसे अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र हेतु विकल्प ऊपर लिखित शहरों में से ही दें ताकि उन्हें सभी परीक्षाओं (प्रातः पाली एवं सायं पाली/अगली तिथि की प्रातः पाली एवं सायं पाली) में सम्मिलित होने में कोई असुविधा न हो तथा भिन्न-भिन्न परीक्षा केन्द्र न मिलें। यथा सम्भव प्रयास किया जायेगा कि विकल्प के मुताबिक अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जायेगा परन्तु इस प्रकार कि कोई बाध्यता परिषद् की नहीं होगी।

➤ अन्य आवश्यक निर्देश:-

- उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रुड़की द्वारा संचालित “संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलीटेकनिकस-2021” में सम्मिलित होने से अभ्यर्थी उन सभी नियमों, प्रतिबन्धों से आबद्ध हो जाता है जो इस विवरण-पुस्तिका में विभिन्न स्थानों पर दिये गये हैं या जिन्हें समय-समय पर परिषद् या राज्य सरकार परिवर्तित करे या लागू करे।

- यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत सूचना प्रवेश से पूर्व/प्रवेश के समय या भविष्य में असत्य पायी जाती है तो अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
- इस विवरण-पुस्तिका में दिये गये विवरण अभ्यर्थियों के सूचनार्थ तथा निर्देशार्थ है। अतः इसका उपयोग वर्णित कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के लिये मान्य नहीं होगा। वाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र देहरादून में स्थित न्यायालय ही मान्य है। परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में परिषद् का निर्णय अन्तिम होगा तथा वे परिषद् के निर्देश मानने हेतु बाध्य होंगे।
- अभ्यर्थी का चयन केवल इस वर्ष के लिये ही किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी किसी कारणवश (अघोषित परीक्षाफल, अपूर्ण परीक्षाफल, पूरक परीक्षा, अंकतालिका न मिलने, टी.सी. न मिलने, अन्य वाँछित प्रमाण-पत्र न प्रस्तुत कर पाने आदि-आदि।) प्रवेश की तिथि तक सभी वाँछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर प्रवेश नहीं ले पाता है, तो उसका चयन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा और इसका उत्तरदायित्व परिषद् पर नहीं होगा तथा उसे अगले वर्ष प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- इस विवरण-पुस्तिका के अतिरिक्त परिषद् द्वारा अथवा उसकी ओर से अन्य किसी भी संस्थान द्वारा अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन/गाइडेन्स हेतु किसी प्रकार का कोई प्रकाशन नहीं किया गया है। यदि कोई संस्थान/परिषद् के नाम का दुरुपयोग करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।
- अभ्यर्थी को चाहिये कि आनलाईन आवेदन करने से पूर्व विवरण-पुस्तिका का भली-भाँति अध्ययन कर लें। **आरक्षण, उपवर्ग, फार्म भरने की अन्तिम तिथि, मांगे गये शहर का नाम** (जहां से वह परीक्षा देना चाहता है।) अवश्य नोट कर लें, जिससे कि बाद में आवश्यकता पड़ने पर वह संदर्भ दे सकें। ऑनलाईन फार्म का प्रिन्ट आउट परिषद् में भेजने की आवश्यकता नहीं है।
- अभ्यर्थी को चाहिये कि वह आरक्षण वर्ग तथा उपवर्ग प्रत्येक जगह सही-सही भरें तथा चेक कर लें कि उसको आनलाईन प्रवेश-पत्र पर अंकित उसका आरक्षण वर्ग तथा उपवर्ग सही है। त्रुटि होने पर परिषद् कार्यालय से तुरन्त सम्पर्क कर त्रुटि सुधार करवा लें। प्रवेश होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रारूपों पर संबंधित आरक्षण वर्ग/उपवर्ग का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न कर पाने पर अभ्यर्थी का प्रवेश स्वतः ही समाप्त हो जायेगा और इस सम्बन्ध में उसका कोई भी दावा मान्य न होगा तथा यह चयन किसी भी स्थिति में अगले वर्ष के लिये मान्य नहीं होगा।
- निदेशक प्राविधिक शिक्षा के पत्रांक 215/प्रदेश एनटीपीसी/2012-13 दि. 12-12-2012 के संदर्भ में राजकीय पॉलीटेक्निक कालाढुंगी में सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता की 10% सीटें एनटीपीसी में तैनात कार्मिकों के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है।
- उपरोक्त संस्थायें एवं पाठ्यक्रम ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा सत्र 2020-21 में दिये गये अनुमोदन के आधार पर दर्शायी गयी हैं, जो कि अनन्तिम हैं। इनमें विभाग/शासन द्वारा निरीक्षण/जाँच किये जाने पर अथवा किसी भी प्रकार की कमी अथवा अनुशासनहीनता पाये जाने पर कभी भी परिवर्तन/निरस्त किया जा सकता है। ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु प्रदान किये जाने वाले अनुमोदन के आधार पर काउंसिलिंग का आयोजन किया जायेगा।
- शासनादेश सं0 740/XLI-1/2011-26/10 प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग, देहरादून दिनांक 19 अगस्त 2011 के अनुसार ग्रुप-ए के अनुसार इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु शासनादेश में दर्शायी गयी शाखाओं में 10-10 प्रतिशत अतिरिक्त सीटें क्रमशः आई0टी0आई0 तथा 10+2 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिये निम्नानुसार होंगी:-

शासनादेश संख्या- 740/XLI-1/2011-26/10 प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग, देहरादून दिनांक 19 अगस्त 2011 का संलग्नक-1
डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु आई0टी0आई0 ट्रेडवार न्यूनतम शैक्षिक अर्हता एवं पाठ्यक्रमों का विवरण

क्र0 सं0	आई0टी0आई0 ट्रेड का नाम	अवधि आई0 टी0 आई0 ट्रेड	डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम (द्वितीय वर्ष)	उत्तीर्ण किये जाने वाले अनिवार्य विषय	टिप्पणी	डिप्लोमा द्वितीय वर्ष में प्रवेश क्षमता
1	2	3	4	5	6	7
1.	फिटर	02 वर्ष	मैकेनिकल इंजी0	1. English & Communication Skills-I 2. Applied Mathematics-I 3. Applied Physics-I 4. Applied Chemistry-I 5. Basics of Information Technology	स्तम्भ-5 में अंकित विषय उत्तीर्ण करना अनिवार्य है किन्तु कुल योग में इनके अंक नहीं जोड़े जायेंगे।	कुल प्रवेश क्षमता का 10 प्रतिशत अतिरिक्त।
2.	टर्नर	02 वर्ष	मैकेनिकल इंजी0	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
3.	मशीनिष्ट	02 वर्ष	मैकेनिकल इंजी0	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
4.	रेफ्रीजरेशन एण्ड एयर कण्डीशन मैकेनिक	02 वर्ष	मैकेनिकल इंजी0	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
5.	ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल	02 वर्ष	मैकेनिकल इंजी0	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
6.	मैकेनिकल मोटर व्हीकल	02 वर्ष	मैकेनिकल इंजी0 (ओटोमोबाईल)	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
7.	इलैक्ट्रीशियन	02 वर्ष	इलैक्ट्रिकल इंजी0	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
8.	वायरमैन	02 वर्ष	इलैक्ट्रिकल इंजी0	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
9.	ड्राफ्ट्समैन सिविल	02 वर्ष	सिविल इंजी0	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
10.	सर्वेयर	02 वर्ष	सिविल इंजी0	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
11.	मैकेनिक रेडियो एण्ड टी0वी0	02 वर्ष	इलैक्ट्रॉनिक्स इंजी0	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
12.	मैकेनिक इलैक्ट्रॉनिक्स	02 वर्ष	इलैक्ट्रॉनिक्स इंजी0	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
13.	इन्स्ट्रुमेन्ट मैकेनिक	02 वर्ष	इलैक्ट्रॉनिक्स इंजी0	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
14.	मैकेनिक कम ऑपररेटर इलैक्ट्रॉ. कम्यूनिकेशन सिस्टम	02 वर्ष	इलैक्ट्रॉनिक्स इंजी0	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
15.	इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एण्ड इलै0 सिस्ट0 मैन्टि0	02 वर्ष	इलैक्ट्रॉनिक्स इंजी0	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-

उपरोक्तानुसार 2 वर्षीय आई0टी0आई0 फिटर, टर्नर, मशीनिष्ट, रेफ्रीजरेशन एण्ड एयर कंडीशन मैकेनिक, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी यांत्रिक अभियंत्रण/ मैकेनिकल मोटर व्हीकल प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी यांत्रिक अभियंत्रण (ओटोमोबाईल)/इलैक्ट्रीशियन, वायरमैन प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी विद्युत इंजी0/ड्राफ्ट्समैन, सर्वेयर प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी सिविल इंजी0/मैकेनिक रेडियो एंड टी0वी0, मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्स्ट्रुमेन्ट मैकेनिक, मैकेनिक कम ऑपररेटर इलेक्ट्रॉ. कम्यूनिकेशन सिस्टम, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एण्ड इलै0 सिस्ट0 मैन्टि0 प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजी0 द्वितीय वर्ष में प्रवेश के पात्र होंगे। अतः आई0टी0आई0 उत्तीर्ण छात्र कृपया उपरोक्त सारिणी का भली-भाँति अध्ययन कर सुनिश्चित कर लें कि वह जिस पाठ्यक्रम में आवेदन करना चाहते हैं, उससे सम्बन्धित प्रवेश अर्हता एवं अन्य शर्तें पूर्ण करते हैं।

शासनादेश संख्या— 740/XLI-1/2011-26/10 प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग, देहरादून दिनांक 19 अगस्त 2011 का संलग्नक—2
डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण तथा न्यूनतम शैक्षिक अर्हता एवं पाठ्यक्रमों का विवरण

क्र० सं०	शैक्षिक योग्यता	प्रस्तावित डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम (द्वितीय वर्ष)	उत्तीर्ण किये जाने वाले अनिवार्य विषय	टिप्पणी	डिप्लोमा द्वितीय वर्ष में प्रवेश क्षमता
1	2	3	4	5	6
1.	इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण (भौतिकी, रसायन एवं गणित विषय सहित)	कोई भी इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम	1. English & Communication Skills-I 2. Applied Mathematics-I 3. Applied Physics-I 4. Applied Chemistry-I 5. Basics of Information Technology 6. Engineering Drawing-I	स्तम्भ-4 में अंकित विषय उत्तीर्ण करना अनिवार्य है किन्तु कुल योग में इनके अंक नहीं जोड़े जायेंगे।	कुल प्रवेश क्षमता का 10 प्रतिशत अतिरिक्त।
2.	इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण (व्यावसायिक/प्राविधिक विषय सहित)	व्यावसायिक/प्राविधिक विषय के अनुसार संबंधित इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम	1. English & Communication Skills-I 2. Applied Mathematics-I 3. Applied Physics-I 4. Applied Chemistry-I 5. Basics of Information Technology 6. Engineering Drawing-I	स्तम्भ-4 में अंकित विषय उत्तीर्ण करना अनिवार्य है किन्तु कुल योग में इनके अंक नहीं जोड़े जायेंगे।	कुल प्रवेश क्षमता का 10 प्रतिशत अतिरिक्त।

संस्थायें एवं पाठ्यक्रम : उत्तराखण्ड राज्य में प्राविधिक शिक्षा की राज्य सरकार द्वारा संचालित राजकीय, सहायता प्राप्त एवं निजी डिप्लोमा स्तर की संस्थायें हैं, जिनमें रोजगारपरक तथा उद्योगोन्मुखी परम्परागत तकनीकी तथा नई उमरती तकनीकी के 32 पाठ्यक्रम संचालित हैं।

पठन-पाठन की व्यवस्था :

- विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो रहे बहुआयामी विकास के कारण प्रदेश के आद्योगिक परिदृश्य में हो रहे क्रान्तिकारी परिवर्तनों के अनुरूप तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रमों में शिक्षण-प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था है।
- तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता के अनुरूप साज-सज्जा, आधुनिक मशीनों तथा प्रशिक्षण व्यवस्था का सुदृढीकरण, उद्योगोन्मुखी एवं रोजगारपरक नवीन पाठ्यक्रमों की आधारभूत संरचना।

अनुसूचित जाति/जनजाति एवं ओबीसी0 अम्यर्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियाँ सम्बन्धी जानकारी

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति एवं ओबीसी0 के अर्ह अम्यर्थियों को प्रवेश के उपरान्त शिक्षण शुल्क छात्रवृत्ति के रूप में वापस किया जाता है।

महिलाओं हेतु विशेष व्यवस्था:

- ❖ महिलाओं हेतु प्रदेश में 3 पालीटेकनिक संचालित किये जा रहे हैं, जिनमें चल रहे रुचिकर एवं रोजगारपरक पाठ्यक्रमों में केवल महिलाओं के लिए ही प्रशिक्षण उपलब्ध है।
- ❖ महिला पालीटेकनिकों के अतिरिक्त महिलाओं के लिये समस्त पालीटेकनिकों में 30 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था भी की गयी है।
- ❖ छात्राओं के लिए बस सुविधा, छात्रावास, एन0एस0एस0 प्रशिक्षण एवं पुस्तकालय एवं वाचनालय की सुविधा भी उपलब्ध है।

शिक्षणोत्तर क्रियाकलाप : संस्था स्तर/क्षेत्रीय स्तर एवं राज्य स्तर पर खेलकूद, वादविवाद, सांस्कृतिक एवं अन्य बहुआयामी कार्यक्रमों का आयोजन।

विकलांगों हेतु विशेष प्रशिक्षण : श्रवण एवं अस्थि विकलांगों को स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाने हेतु के0एल0पालीटेकनिक रुड़की (हरिद्वार) में विकलांग अम्यर्थियों हेतु भारत सरकार द्वारा संस्थान में विकलांग छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण, छात्रावासीय सुविधा, रू0 190.00 प्रतिमाह की छात्रवृत्ति, रू0 250.00 प्रतिमाह की फूड सब्सिडी तथा संस्था की निःशुल्क यूनीफार्म प्रदान की जाती है।

ऑनलाईन काउंसिलिंग एवं सीट आवंटन का संक्षिप्त विवरण : परिषद् द्वारा प्रवेश परीक्षाफल घोषणा के उपरान्त भारत सरकार की इकाई एन0आई0सी0 के सहयोग से आनलाईन काउंसिलिंग का आयोजन किया जाता है। जिसमें अम्यर्थी कहीं से भी जहाँ इन्टरनेट की सुविधा हो काउंसिलिंग में सम्मिलित हो सकता है। अम्यर्थियों द्वारा आनलाईन विकल्प भरने के उपरान्त एन0आई0सी0 के द्वारा प्रवेश सूची भी इन्टरनेट के माध्यम से तथा मोबाईल के माध्यम से जारी की जाती है। काउंसिलिंग की तिथियों की सूचना परिषद् के द्वारा समाचार पत्रों एवं वेबसाइट के माध्यम से प्रकाशित की जाती है।

संस्था में छात्र की उपस्थिति की अनिवार्यता सम्बन्धी विवरण : प्रवेश के उपरान्त छात्र को वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये 80 प्रतिशत उपस्थिति होनी अनिवार्य है।

सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी का विवरण : सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में परिषद् में प्रथम अपीलीय अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक सूचना अधिकारी की नियुक्ति कर दी गयी है।

संस्थाओं में रैगिंग से सम्बन्धित नियम : माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में पालीटेकनिक संस्थाओं में रैगिंग किया जाना पूर्णतः प्रतिबन्धित है। जिसके लिये प्रत्येक वर्ष समस्त पालीटेकनिकों में प्रधानाचार्यों द्वारा एन्टी रैगिंग स्वचायड की नियुक्ति किया जाना अनिवार्य है। राजकीय/महिला/ग्रामीण/सहायता प्राप्त पालीटेकनिक संस्थाओं में उत्तराखण्ड शासनादेश सं0 245/XLI-1/2016-61/09 देहरादून दिनांक 15 फरवरी 2016 एवं शासनादेश सं0 744/ XLI-1/2016-61/09 दिनांक 14 जून 2017 के द्वारा निर्धारित शुल्क ढाँचा:-

क्र० सं०	शुल्क की मदें	शुल्क दरें ₹ में
1	शिक्षण शुल्क	8000.00
2	छात्र निधि शुल्क	5000.00
1	प्रवेश फार्म एवं प्रवेश शुल्क निबंधन	50.00
2	परिचय पत्र शुल्क	50.00
3	क्रीडा शुल्क	250.00
4	वार्षिकोत्सव शुल्क	100.00
5	शैक्षिक परीक्षा शुल्क	100.00
6	मैगजीन शुल्क	100.00
7	हॉबी सेन्टर शुल्क	50.00
8	विद्युत शुल्क	1000.00
9	कॉसन मनी संस्थागत (refundable)	100.00
10	शैक्षिक/औद्योगिक भ्रमण	300.00
11	अनुरक्षण शुल्क	1500.00
12	कम्प्यूटर/इन्टरनेट शुल्क	500.00
13	विकास/भवन विकास शुल्क	500.00
14	पुस्तकालय शुल्क	100.00

क्र० सं०	शुल्क की मदें	शुल्क दरें ₹ में
15	छात्र वेलफेयर शुल्क	100.00
16	एन0सी0सी0 शुल्क	100.00
17	पुस्तकालय काशन मनी	100.00
	छात्रावास शुल्क	4000.00
18	छात्रावास शुल्क	600.00
19	छात्रावास काशन मनी	200.00
20	छात्रावास अनुरक्षण शुल्क	2000.00
21	छात्रावास विद्युत शुल्क	1100.00
22	बर्तन चन्दा	100.00
3	बोर्ड परीक्षा शुल्क	राजकीय-500.0
	मुख्य परीक्षा शुल्क (सभी छात्रों हेतु एक समान)	निजी क्षेत्र-1000.0
	परीक्षा आवेदन पत्र शुल्क	200/-
	बैक पेपर परीक्षा शुल्क (सभी छात्रों हेतु एक समान)	200/- प्रति विषय
	स्क्रूटनी शुल्क	250/- प्रति विषय
	अंकतालिका शुल्क (संस्था द्वारा निर्गत करने पर)	20.00
	(परिषद् द्वारा निर्गत करने पर)	30.00
	पुर्नमूल्यांकन	2000/- प्रति विषय

नोट: प्रवेशित छात्र-छात्राओं द्वारा मात्र एक ही संस्थान में शुल्क जमा किया जायेगा। छात्र-छात्रा का जीप-द्वितीय/तृतीय काउंसिलिंग के माध्यम से पालीटेकनिक एवं पाठ्यक्रम परिवर्तन होने की दशा में नयी संस्था में प्रवेश पुरानी संस्था द्वारा प्रदत्त रिलीविंग सर्टिफिकेट (जिसमें छात्र द्वारा जमा किये गये समस्त शुल्क का विस्तृत विवरण उपलब्ध होगा) प्रस्तुत करने पर होगा एवं छात्र से नयी स्थानान्तरित संस्था में कोई शुल्क (शिक्षण/छात्रनिधि) नहीं लिया जायेगा।

निजी क्षेत्र के पालीटेकनिक संस्थाओं में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं० 1363/XXIV(8)/2009-03/04 दिनांक 27 अक्टूबर, 2009 एवं 600/XXIV(8)/2010-51/2005 दिनांक 28 अप्रैल 2010 के अनुसार शुल्क ढाँचा:-

क्र० सं०	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित शुल्क
1	शाकुम्भरी इन्स्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एवं टेक्नोलाजी, रुड़की	डी०फार्मा	₹ 45000 प्रतिवर्ष (अनन्तिम)
2	विशम्बर सहाय डिप्लोमा इंजी० कालेज, देहरादून	इंजीनियरिंग शाखा	₹ 35000 प्रतिवर्ष (अनन्तिम)
3	माडर्न इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, ऋषिकेश	डी०फार्मा	₹ 45000 प्रतिवर्ष (अनन्तिम)
4	ज्ञानी इन्दर सिंह इन्स्टीट्यूट आफ एजुकेशन साइन्स एवं टेक्नोलाजी, देहरादून	डी०फार्मा	₹ 45000 प्रतिवर्ष
5	रुड़की कालेज आफ फार्मेसी किशनपुर, रुड़की	डी०फार्मा	₹ 45000 प्रतिवर्ष
6	श्री देव भूमि इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइन्स एवं टेक्नोलाजी, देहरादून	डी०फार्मा	₹ 45000 प्रतिवर्ष (अनन्तिम)
7	बी०एस० नेगी, महिला प्राविधिक प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून	फैशन डिजायन, गारमेन्ट टेक्नोलाजी	₹ 22300 प्रतिवर्ष
8	सिद्धार्थ इन्स्टीट्यूट आफ फार्मेसी सहस्त्रधारा रोड देहरादून	डी०फार्मा	₹ 45000 प्रतिवर्ष
9	रामानन्द इन्स्टीट्यूट आफ फार्मेसी, ज्वालपुर हरिद्वार	डी०फार्मा	₹ 45000 प्रतिवर्ष

डिप्लोमा स्तरीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों से संबंधित ऐसे संस्थान जिनके द्वारा अभी तक शुल्क निर्धारण का प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया है, उनके द्वारा भी अनन्तिम रूप से ₹ 35000/- का वार्षिक शुल्क तथा डी०फार्मा हेतु ₹ 45000/- प्रतिवर्ष ही छात्रों से लिया जायेगा। निजी क्षेत्र के होटल मैनेजमेन्ट संस्थानों में उत्तराखण्ड के शासनादेश सं० 773/XXIV(8)/2006-51/2005 TC दिनांक 23 अगस्त 2006 के अनुसार होटल मैनेजमेन्ट पाठ्यक्रम के लिये ₹ 43000/- निर्धारित किया गया है।

उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा पालीटेकनिक संस्थाओं संचालित पाठ्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण

क्र० सं०	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम अवधि	पाठ्यक्रम परिचय	रोजगार के अवसर
1	केमिकल इंजीनियरिंग	तीन वर्ष	केमिकल प्लान्ट आपरेशन, विभिन्न उपकरणों, मशीनों की सर्विसिंग, विभिन्न उत्पाद निर्माण प्रक्रिया तकनीक, प्रोसेस कन्ट्रोल, विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का सेटअप, पर्यावरण प्रदूषण, सेपटी तकनीक।	केमिकल निर्माण उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, डिस्टिलरी उद्योग में, शुगर मिल्स में, विभिन्न सरकारी उद्योगों में, शैक्षिक संस्थाओं में, दवा उद्योगों में, विभिन्न उत्पादक उद्योगों में तथा स्वरोजगार।
2	केमिकल टेक्नोलाजी (पेन्ट)	तदैव	तदैव	तदैव
3	इलेक्ट्रानिक्स इंजी०	तदैव	इलेक्ट्रानिक्स आइटम की एसेम्बली, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसिंग एण्ड मेन्टीनेन्स, सेल्स एण्ड मार्केटिंग।	एच०ए०एल०, टी०वी० निर्माण कम्पनी, आकाशवाणी, एअरपोर्ट अथॉरिटी, नागरिक उड्डयन, डाक एवं तार विभाग, दूरसंचार, बी.ई.एल., बी.एच.ई.एल. विद्युत परिषद्, इलेक्ट्रानिक्स निर्माण उद्योग।
4	इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्युनिकेशन इंजी०	तदैव	इलेक्ट्रानिक्स आइटम की एसेम्बली, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसिंग एण्ड मेन्टीनेन्स, सेल्स एण्ड मार्केटिंग।	एच०ए०एल०, टी०वी० निर्माण कम्पनी, आकाशवाणी, एअरपोर्ट अथॉरिटी, नागरिक उड्डयन, डाक एवं तार

क्र० सं०	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम अवधि	पाठ्यक्रम परिचय	रोजगार के अवसर
				विभाग, दूरसंचार, बी.ई.एल., बी.एच.ई. एल. विद्युत परिषद्, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण उद्योग।
5	कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग	तदैव	कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग, हार्डवेयर के सम्बन्ध में जानकारी।	कम्प्यूटर निर्माण उद्योग/प्रतिष्ठान एवं कार्यालय, अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य, साफ्टवेयर निर्माण उद्योग में।
6	इन्टीरियर डिजाइन	तदैव	भवनों की आन्तरिक साज-सज्जा की प्लानिंग, ड्रापिंग तथा सुपरविजन।	डिजाइनिंग कन्सलटेन्सी, टूरिज्म विभाग, निजी निर्माण, समस्त शो रूम में, फर्नीचर डिजाइन आदि में।
7	इन्फॉर्मेशन टेक्नोलाजी	तदैव	वेब डिजाइनिंग, बिजनेस शापिंग तथा इन्टरनेट द्वारा त्वरित सूचनाओं का आदान-प्रदान।	सरकारी एवं निजी संस्थाओं में रोजगार।
8	टेक्सटाईल डिजाइन	तदैव	फैब्रिक डिजाइन, ड्राइंग, ब्लीचिंग, बॉटिक, स्टेन्सिल प्रिंटिंग/डिजाइन, मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस आदि।	कपड़ा उद्योग, हैण्डलूम उद्योग, विभिन्न सरकारी विभागों में, डाइंग तथा प्रिंटिंग में स्वरोजगार।
9	फार्मैसी	दो वर्ष	बायो-कैमिस्ट्री, स्वास्थ्य शिक्षा मानव शरीर-संरचना क्रिया प्रणाली, दवा निर्माण तकनीक।	सरकारी/गैर सरकारी दवा स्टोर रूम में, शिक्षण संस्थाओं में तथा दवा निर्माण कम्पनी में।
10	गारमेन्ट टेक्नोलाजी	तीन वर्ष	ड्रेस डिजाइनिंग, पैटर्न ड्रापिंग, फैब्रीकेशन टेकनीक से सम्बन्धित जानकारी	परिधान निर्माण उद्योग, टेक्सटाईल डाइंग, प्रिंटिंग, एक्सपोर्ट हाउसेस, बुटीक केन्द्र तथा स्वरोजगार।
11	माडर्न आफिस मैनेजमेन्ट एण्ड सेक्रेट्रियल प्रैक्टिस	दो वर्ष	सचिवीय कार्य/वैयक्तिक सहायक के कार्य	केन्द्रीय, राज्य सरकार एवं निजी संस्थानों में।
12	फैशन डिजाइनिंग	तीन वर्ष	पैटर्न ड्रापिंग/डिजाइनिंग, स्केचिंग, फैब्रीकेशन टैकनिक इम्ब्रायडरी आदि।	परिधान निर्माण उद्योग, फैशन म्युजियम्स, मैगजीन डिजाइनर तथा फैशन शो में।
13	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन	दो वर्ष	कम्प्यूटर साफ्टवेयर के सम्बन्ध में जानकारी	सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में कम्प्यूटर उद्योगों में, निजी प्रतिष्ठानों में एवं अन्य में।
14	सिविल इंजी०	तीन वर्ष	सम्बन्धित विषय में पूर्ण जानकारी	सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में रियल स्टेट से सम्बन्धित सभी प्रकार के कार्य।
15	मेकेनिकल इंजी०	तीन वर्ष	सम्बन्धित विषय में पूर्ण जानकारी	सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में निजी प्रतिष्ठानों में एवं अन्य उद्योगों में मशीनों की बनावट निर्माण आदि के कार्य।
16	ऑटोमोबाईल इंजी०	तीन वर्ष	सम्बन्धित विषय में पूर्ण जानकारी	वाहनों तथा उससे सम्बन्धित मशीनों से सम्बन्धित कार्य।

।।ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आवश्यक निर्देश।।

(1) आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक भरना एक महत्वपूर्ण कार्य है। अभ्यर्थी प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता आदि को सावधानी पूर्वक पढ़कर ही आवेदन पत्र भरें, क्योंकि ऑनलाईन फार्म में सनिरीक्षा कठिन होती है। साईबर कैफे से आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी शुल्क जमा करने से पूर्व अपना आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक पढ़ें। आवेदन पत्र जमा (Submit) करने के बाद आवेदन पत्र में किसी भी प्रविष्टि को संशोधित नहीं किया जायेगा।

(2) अभ्यर्थी उर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाईन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा।

(03) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि सभी प्रकार के पूर्ण ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि को नियत समय तक अभ्यर्थी को **“ONLINE APPLICATION”** प्रक्रिया में **“Register Now”** बटन को **“Click”** करना अनिवार्य है। तत्पश्चात नियत अवधि तक परीक्षा शुल्क **Net Banking/Debit Card/Credit Card** के माध्यम से जमा करना है। परीक्षा शुल्क जमा करने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा फोटो, हस्ताक्षर एवं अन्य सभी जानकारी अपलोड करने के उपरान्त ही आवेदन प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी।

4) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन की प्रिन्टआउट प्रति भविष्य में परिषद् से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक उपयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।

(5) उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में गलत तथ्यों का प्रकटीकरण जिनका वैध प्रमाण-पत्रों के आधार पर पुष्टि न हो या फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थियों को परिषद् की समस्त परीक्षाओं से अधिकतम 03 वर्षों के लिए प्रतिवारित कर दिया जायेगा साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है।

(6) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन परिषद् द्वारा अंतिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

(7) ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त आवेदन में की गयी प्रविष्टियों यथा अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, आयु एवं परीक्षा केन्द्र या अन्य किसी बिन्दु पर किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(8) ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाईन आवेदन को सही-सही भरें। परिषद् में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर दिए जाने के उपरान्त मूल आवेदन में दर्शाए गए विवरणों/प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(9) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पर्याप्त समय पूर्व ही अपना ऑनलाईन आवेदन करना सुनिश्चित करें।

(10) ऑफलाईन ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र उत्तराखण्ड में समस्त राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त पॉलीटेक्निक संस्थानों में उपलब्ध है।

(11) प्रत्येक ग्रुप के लिये अभ्यर्थी अलग-अलग आवेदन एवं शुल्क जमा करेंगे।

संयुक्त सचिव,
संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं
प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ,
अपर आमवाला, देहरादून